उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः 38352-56 / वसूली / नीलामी प्रकाशन / 17–18 दिनांकः 26-05-17

समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
सहकारिता,
उत्तर प्रदेश।

महोदय,

कृपया इस पत्र के साथ संलग्न बैंक के परिपत्रांक सी–24 / वसूली / नीलामी प्रकाशन / 2017–18 दिनांक 25.05.17 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक नियमावली 1971 के नियम 29 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत बैंक के पक्ष में बंन्धकग्रस्त भूमि की नीलामी नोटिस प्रकाशित कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशानिर्देश निर्गत किये गये हैं जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि उपरोक्तानुसार सम्बन्धित नोटिस का प्रकाशन आपके माध्यम से सम्बन्धित समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित किया जायेगा।

उक्त प्रकरण में आप से अनुरोध है कि बैंक की जनपदीय शाखा द्वारा प्रश्नगत् नीलामी हेतु उपलबध कराई गयी सूची का प्रकाशन कृपया अपने स्तर से परिपत्रांक सी–24 / वसूली / नीलामी प्रकाशन / 2017–18 दिनांक 25.05.17 में वर्णित दैनिक समाचार पत्रों में राजकीय दरों पर कम से कम स्पेस में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें। साथ ही साथ उपरोक्तानुसार दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन किये जाने से सम्बन्धित बिल प्राप्त होने पर उसे सम्बन्धित जनपदीय शाखा को उपलब्ध करवा दें, ताकि बैंक की शाखा द्वारा उसका भुगतान किया जा सके।

संलग्न–यथोपरि।

26/5/17

(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– समस्त शाखा प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे सम्बन्धित नोटिस का प्रकाशन राजकीय दर पर एवं कम से कम स्पेस में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता के माध्यम से करवायेंगे और प्रकाशन से सम्बन्धित बिल प्राप्त होने पर उसका भुगतान शाखा से करना सुनिश्चित करें।

2–समस्त जनपद / मण्डल पर्यवेक्षक उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक को इस निर्देश के साथ कि वे उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।

3–समस्त मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उत्तर प्रदेश।

4–उप महाप्रबन्धक(कम्प्यूटर) उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक प्रदेश की समस्त शाखाओं एवं समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 को ई–मेल कराने हेतु।

(आर0बी0 गुप्ताा)
मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशा0 / वसूली)